सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. **RCMS 2019/00004**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0
निगरानी प्रकरण सं0 01/2019

1. वजीरचन्द पुत्र श्री जमनाराम जाति औड़ निवासी जलौकी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. पवन कुमार
2. नन्दकुमार उर्फ नन्दलाल
3. राजकुमार
4. मुकेश कुमार

पिसरान श्री कंवरभान जाति औड़ निवासीयान जलौकी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

5. सरोज कुमारी पुत्री श्री भगवानदास जाति औड़ निवासी जलौकी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
6. सरपंच ग्राम पंचायत जलौकी तहसील पदमपुर

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 04
3. श्री विक्रम गोदारा अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 05

:: आदेश :: **दिनांक :– 19.02.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत 5–6 आर.बी. (जल्लूका) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर में अहाता संख्या 59 साईज 72X50 फुट दिनांक 10.03.1980 को बाद जांच आवंटन किया गया था निगरानीकर्ता ने उक्त अहाता की आवंटन राशि जरिये रसीद संख्या 157 दिनांक 10.03.1980 को जमा करवा दी गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के नाम उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया था और इस पट्टा की आबादी भूमि के रजिस्टर में इन्द्राज कर दिया गया और सरपंच द्वारा स्वीकृत कर दिया था। निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत जलौकी में ही एक दुसरा भूखण्ड संख्या 29 हरदयाल पुत्र श्री सुन्दरलाल से खरीद कर लिया था और इसमें अपना रिहायश मकान बनाकर निवास कर लिया था। निगरानीकर्ता का भाई सरपंच था इसलिए निगरानीकर्ता ने खरीद का दस्तावेज अहाता संख्या 29 का अपने भाई कंवरभान को इन्तकल के लिए दे दिया था और अहाता संख्या 59 उक्त अहाता के सामने स्थित होने से इसमें अपना घरेलू सामान व पशुओं को बांधने लग गया था और पशुओं के लिए एक कमरा भी बना दिया था इस प्रकार ग्राम पंचायत जलौकी में निगरानीकर्ता के पास भूखण्ड संख्या 29 में व भूखण्ड संख्या 59 दो अहाताजात है। अहाता संख्या 29 बाबत निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से एन.ओ.सी. भी ली थी जिसमें ग्राम पंचायत ने अहाता संख्या 29 निगरानीकर्ता का है बाबत एन.ओ.सी.दी थी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 निगरानीकर्ता के सग्गे भाई कंवरभान के लड़के है। कंवरभान ग्राम पंचायत जलौकी में सन् 1982–87 तक सरपंच था और कंवरभान की धर्मपत्नी शीला बाई सन् 1995–2000 तक सरपंच थी। कंवरभान ने भी इस ग्राम पंचायत में चार–पांच अलग–अलग भूखण्ड आवंटन करवाये थे। कंवरभान का सन् 1997 में देहान्त हो गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने आपस में साजिश की ओर अहाता संख्या 59

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता को आवंटन था को हड़प करने की योजना बनायी और ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव से साजिश कर अहाता संख्या 59 का अहाता संख्या 29 से तबादला कंवरभान पुत्र जमनाराम के साथ दिखाते हुए आबादी भूमि के रजिस्टर में तबादला का फर्जी इन्द्राज सरपंच के हस्ताक्षर कर दर्ज जबकि ऐसा कोई तबादला नहीं हुआ था न कानून हो सकता था क्योंकि अहाता संख्या 29 कंवरभान पुत्र जमनाराम का था ही नहीं अहाता 29 व 59 दोनो निगरानीकर्ता के ही है। कंवरभान खुद सरपंच था और कंवरभान स्वयं के हक में इन्तकाल स्वीकृत नहीं कर सकता था। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने पूर्व साजिश के तहत अहाता संख्या 59 के आबादी रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का नाम बिना अधिकार, बिना कोई आदेश, ग्राम पंचायत की मीटिंग के प्रस्ताव के बिना, सरपंच ग्राम पंचायत व सचिव से साजिश कर दर्ज कर लिया और अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूखण्ड विधि विरूद्व, बिना आधार निगरानीकर्ता का भूखण्ड हड़पने के लिए दिनांक 03.01 2019 को अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा हस्तान्तरित करने का प्रलेख लिखवा दिया जबकि भूखण्ड संख्या 59 गैरनिगरानीकर्ता के पिता को न तो तबादला मिला था और न अप्रार्थीगण को मिला। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 5 से साजिश कर उक्त दस्तावेज विधि–विरूद्व निगरानीकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए गवाहान से साजिश कर निष्पादि करवाया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 4 व 5 स्वयं ग्राम पंचायत सावंतसर में पंचायत सहायक है। गवाह रमेश लाल गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 का मामा है, गवाह जसविन्द्र सिंह गैरनिगरानीकर्ता विक्रेता का भान्जा है। इस प्रकार गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 5 ने उक्त कार्यवाही विधि विरूद्व व रिकॉर्ड में फेरबदल कर की है। निगरानीकर्ता गैरनिगरानीकर्ता सख्या 1 ता 4 के विरूद्व फौजदारी कार्यवाही अलग करने जा रहा है। निगरानीकर्ता को अहाता संख्या 59 के आबादी भूमि के खसरा रजिस्टर में की गई कांट छांट के बारे में कोई ज्ञान आज तक नहीं था। दिनांक 03.01.2019 को गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 में उक्त भूखण्ड में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 5 को हस्तान्तरित कर दिया और गैरनिगरानीकर्ता संख्या 5 ने निगरानीकर्ता को उक्त भूखण्ड से अपने कृषि औजार व कृषि सामान भूखण्ड संख्या 59 से उठाने का कहा तो निगरानीकर्ता ने कुल दस्तावेज देखे व ग्राम पंचायत के खसरा रजिस्टर की नकल ली तो निगरानीकर्ता को कुल तथ्य का ज्ञान हुआ इससे पूर्व निगरानीकर्ता को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा की गई फर्जकारी का कोई ज्ञान नहीं था अब इस फर्जकारी का ज्ञान होने पर आवेदक उक्त निगरानी बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। लिहाजा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अहाता संख्या 59 के खसरा रजिस्टर में तबादला का इन्द्राज व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज इन्द्राज को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत 5–6 आर.बी. (जल्लूका) में अहाता संख्या 59 साईज 72X50 फुट दिनांक 10.03.1980 को बाद जांच आवंटन किया गया था निगरानीकर्ता ने उक्त अहाता की आवंटन राशि जरिये रसीद संख्या 157 दिनांक10.03.1980 को जमा करवा दी गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के नाम उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया था। इस पट्टा की आबादी भूमि के रजिस्टर में इन्द्राज कर सरपंच द्वारा स्वीकृत कर दिया था। निगरानीकर्ता ने ग्राम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पंचायत जलौकी में ही एक दुसरा भूखण्ड संख्या 29 हरदयाल पुत्र श्री सुन्दरलाल से खरीद कर लिया जिसमें अपना रिहायश मकान बनाकर निवास कर लिया। निगरानीकर्ता का भाई सरपंच था इसलिए निगरानीकर्ता ने खरीद का दस्तावेज अहाता संख्या 29 का अपने भाई कंवरभान को इन्तकल के लिए दे दिया था। अहाता संख्या 59 उक्त अहाता के सामने स्थित होने से इसमें अपना घरेलू सामान व पशुओं को बांधने लग गया एवं पशुओं के लिए एक कमरा भी बना दिया था इस प्रकार ग्राम पंचायत जलौकी में निगरानीकर्ता के पास भूखण्ड संख्या 29 में व भूखण्ड संख्या 59 दो अहाताजात है। अहाता संख्या 29 बाबत निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से एन.ओ. सी. भी ली थी जिसमें ग्राम पंचायत ने अहाता संख्या 29 निगरानीकर्ता का है बाबत एन.ओ.सी.दी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 निगरानीकर्ता के सग्गे भाई कंवरभान के लड़के है। कंवरभान ग्राम पंचायत जलौकी में सन् 1982–87 तक सरपंच था और कंवरभान की धर्मपत्नी शीला बाई सन् 1995–2000 तक सरपंच थी। कंवरभान का सन् 1997 में देहान्त हो गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव से साजिश कर अहाता संख्या 59 का अहाता संख्या 29 से तबादला कंवरभान पुत्र जमनाराम के साथ दिखाते हुए आबादी भूमि के रजिस्टर में तबादला का फर्जी इन्द्राज सरपंच के हस्ताक्षर कर दर्ज कर दिया जबकि ऐसा कोई तबादला नहीं हुआ था और न कानून हो सकता था क्योंकि अहाता संख्या 29 कंवरभान पुत्र जमनाराम का था ही नहीं अहाता 29 व 59 दोनो निगरानीकर्ता के ही है। कंवरभान खुद सरपंच था और कंवरभान स्वयं के हक में इन्तकाल स्वीकृत नहीं कर सकता था। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने पूर्व साजिश के तहत अहाता संख्या 59 के आबादी रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का नाम बिना अधिकार, बिना कोई आदेश, ग्राम पंचायत की मीटिंग के प्रस्ताव के बिना, सरपंच ग्राम पंचायत व सचिव से साजिश कर दर्ज कर लिया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूखण्ड हड़पने के लिए दिनांक 03.01.2019 को अप्रार्थी संख्या 4 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा हस्तान्तरित करने का प्रलेख लिखवा दिया जबकि भूखण्ड संख्या 59 गैरनिगरानीकर्ता के पिता को न तो तबादला मिला था और न अप्रार्थीगण को मिला। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 5 से साजिश कर उक्त दस्तावेज विधि–विरूद्व निगरानीकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए गवाहान से साजिश कर निष्पादित करवाया है। लिहाजा निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अहाता संख्या 59 के खसरा रजिस्टर में तबादला का इन्द्राज व गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज इन्द्राज को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्लाट संख्या 29 जो दिनांक 10.03.1981 को हरदयाल पुत्र सुन्दर लाल के नाम दर्ज था जिसको जरिये रजि. बैयनामा दिनांक 04.03.1982 को हरदयाल सिंह से कवंरभान पुत्र श्री जमनाराम ने खरीद किया है जिसका इन्तकाल ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड दर्ज है। इसी प्लाट संख्या 29 का तबादला कंवरभान पुत्र जमनाराम ने अपने भाई निगरानीकर्ता वजीरचन्द से करके इन्द्राज पंचायत रिकॉर्ड में किया है जो प्लाट नम्बर 59 है। ग्राम पंचायत 5–6 आर.बी. (जल्लूका) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर विक्रय विलेख रजिस्टर में पूर्व सरपंच द्वारा वजीर चन्द पुत्र जमनाराम के अहाता संख्या 59 का तबादला अहाता संख्या 29 से श्री कवंरभान पुत्र जमनाराम के साथ किया हुआ है जिसकी पालना में सरपंच सुमित्रा द्वारा एन.ओ.सी. दिनांक 06.08.2013 एवं एन.ओ.सी. दिनांक 06.03.2014 के आधार पर अहाता संख्या 59 गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 04 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया है। जिसे गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ता 4 ने गैरनिगरानीकर्ता संख्या 05 को जरिये रजि0 बैयनामा बेचान किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी उक्त प्लाट को हडपने के लिए एवं गैरनिगरानीकर्तागण को परेशान करने के लिए पेश की है। जिसे अस्वीकार किया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि प्लाट संख्या 29 दिनांक 10.03.1981 को हरदयाल पुत्र सुन्दर लाल के नाम दर्ज था जिसको जरिये रजि. बैयनामा दिनांक 04.03.1982 को हरदयाल सिंह से कवंरभान पुत्र श्री जमनाराम ने खरीद किया है जिसका इन्तकाल ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड दर्ज है। इसी प्लाट संख्या 29 का तबादला कंवरभान पुत्र जमनाराम ने अपने भाई निगरानीकर्ता वजीरचन्द से करके इन्द्राज पंचायत रिकॉर्ड में किया है जो प्लाट नम्बर 59 है। ग्राम पंचायत 5–6 आर.बी. (जल्लूका) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर विक्रय विलेख रजिस्टर में पूर्व सरपंच द्वारा वजीर चन्द पुत्र जमनाराम के अहाता संख्या 59 का तबादला अहाता संख्या 29 से श्री कवंरभान पुत्र जमनाराम के साथ किया हुआ है। जिसकी सरपंच सुमित्रा द्वारा एन.ओ.सी. दिनांक 06.08.2013 एवं एन.ओ.सी. दिनांक 06.03.2014 के आधार पर अहाता संख्या 59 गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 ता 04 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत 5–6 आर.बी. जल्लूका द्वारा अहाता संख्या 59 के खसरा रजिस्टर में तबादला को जो इन्द्राज किया है वह विधिसम्मत् प्रतीत होता है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत 5–6 आर.बी. जल्लूका के तबादला की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 19.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर